UPSR010021202023

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (अमित कुमार प्रजापति) – उच्चतर न्यायिक सेवा – UP06330

प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या –17/2023

1– मो० शरीफ आयु करीब 45 वर्ष पुत्र सिकन्दर अली,

2– अनवारूलहक उर्फ ननकऊ आयु 43 वर्ष पुत्र सिकन्दर अली,

3– इलाहूहक आयु करीब 31 वर्ष पुत्र सिकन्दर अली,

4– सद्दाम आयु करीब 29 वर्ष पुत्र मोहम्मद अली,

5– अकबर अली आयु करीब 58 वर्ष पुत्र मोहम्मद अली,

निवासीगण– कटहा, पोस्ट गिलौला, परगना बहराइच, तहसील इकौना, जनपद श्रावस्ती

––––––––अपीलार्थीगण।

बनाम

1– अब्दुल हकीम आयु करीब 48 वर्ष पुत्र सत्तार अली,

2– इल्यिास आयु करीब 44 वर्ष पुत्र सत्तार अली,

3– मुलीम आयु करीब 40 वर्ष पुत्र सत्तार अली,

4– ननके आयु करीब 36 वर्ष पुत्र सत्तार अली,

5– मोहम्मद युनूस आयु करीब 42 वर्ष पुत्र अलीशेऱ (दौरान मुकदमा मृतक),

5/1– अब्दुल कुद्दूस आयु करीब 44 वर्ष पुत्र मो० युनुस,

5/2– फिरोज अहमद आयु करीब 33 वर्ष पुत्र मो० युनुस,

5/3– युसुफ आयु करीब 26 वर्ष पुत्र मो० युनुस,

5/4– जुबेर आयु करीब 24 वर्ष पुत्र मो० युनुस,

5/5– महफूज आयु करीब 22 वर्ष पुत्र मो० युनुस,

5/6– फरीकुन निशा आयु करीब 57 वर्ष पत्नी मो० युनुस,

6– मोहम्मद आरिफ आयु करीब 37 वर्ष पुत्र अलीशेर,

निवासीगण– कटहा, पोस्ट गिलौला, परगना बहराइच, तहसील इकौना, जनपद श्रावस्ती।

Digitally signed by AMIT KUMAR PRAJAPATI
Date: 2026.03.12 10:53:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

---------प्रत्यर्थीगण।

निर्णय

1– प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील अपीलार्थीगण ने मूल वाद संख्या 82/2016, सत्तार अली आदि बनाम सिकन्दर अली आदि की पत्रावली में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 19.10.2023 के विरूद्ध संस्थित किया है।

2– आक्षेपित आदेश के द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण (मूल वाद के वादीगण) के प्रार्थना पत्र 6 ग को स्वीकार करते हुये आदेश पारित किया है कि उभय पक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह ता फैसला मुकदमा विवादित सम्पत्ति गाटा संख्या 590, स्थित मौजा कटहा, परगना बहराइच, तहसील इकौना, जनपद श्रावस्ती, जिसे वाद पत्र के साथ दाखिल नक्शा नजरी में अक्षर क,ख,द,स बरंग लाल से प्रदर्शित किया गया है, पर यथास्थिति बनाये रखें। उक्त आक्षेपित आदेश से क्षुब्ध होकर यह प्रकीर्ण सिविल अपील अपीलार्थीगण ने योजित किया है।

3– अपील में अपीलार्थीगण का संक्षिप्त कथन है कि अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय कमीशन रिपोर्ट का बिना अवलोकन किए प्रश्नगत आदेश पारित किया है जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। मूल वाद में वादीगण द्वारा विवादित सम्पत्ति की कोई लम्बाई चौड़ाई या रकबा 6 ग के प्रार्थना पत्र में नहीं लिखा, इसलिये प्रश्नगत सम्पत्ति पहचान योग्य न होने पर भी प्रश्नगत आदेश पारित करके अवर न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। मूल वाद में वादीगण द्वारा अपीलान्ट 1/3 अंश होना स्वीकार किया है तथा कमीशन रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से अपीलान्ट व रेस्पाण्डेन्टगण गाटा संख्या 590 में अपने–अपने हिस्से पर आवास कायम कर रखा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मूल वाद में वादीगण द्वारा सही तथ्यों को छुपाकर मिथ्या कथनों के आधार पर अवर न्यायालय पर मिथ्या वाद योजित किया और वे अवर न्यायालय पर स्वच्छ हाथों से नहीं आये हैं, किन्तु इस बिन्दु पर विचार न करके अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करके कानूनी गलती की है। अवर न्यायालय ने वादग्रस्त सम्पत्ति गाटा संख्या 590 को वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त सम्पत्ति मानते हुए तथा अदालती बंटवारा न होने के आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया है, किन्तु प्रश्नगत आदेश पारित करते समय अवर न्यायालय बिना किसी आधार गाटा संख्या 590 के विशिष्ठ भाग पर परिकल्पनाओं के आधार पर यथास्थिति का आदेश पारित किया है जो विधि एवं तथ्यों के विरुद्ध है। मूल वाद में वाद पत्र के तथ्यों के आधार पर दावा वादी आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० के तहत बाधित था। सत्यता यह है कि अपीलान्ट्स ने अपने हिस्से की

भूमि में जुज भाग बवजह गरीबी छप्पर बनाकर निवासरत है तथा कुछ भाग पर छत नहीं पड़ा है और गर्मी व बरसात के कारण फूस के मकान काफी जर्जर अवस्था में हो चुके थे, जिसे अपीलान्ट्स अपने व अपने परिवार के सुरक्षा के दृष्टिकोण से मरम्मत कराना चाहते थे, किन्तु रेस्पाण्डेन्टगण, अपीलान्ट्स से ईर्ष्या के भावना से ग्रसित होकर असत्य तथ्यों के आधार पर अवर न्यायालय से अपीलान्ट के हिस्से वाली भूमि को ही मात्र वादग्रस्त दिखाते हुए स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया और उसी की आड़ में लगभग 9 वर्षों तक अपीलान्ट्स को तंग व परेशान करते रहे, किन्तु कभी भी बंटवारा का वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया, फिर भी अवर न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर बिना कोई विचार किए प्रश्नगत आदेश पारित करके अपीलान्ट्स के हिस्से वाली भूमि पर उसके उपयोग व उपभोग से वंचित कर दिया है। अपीलान्ट्स के छप्पर के बने मकान काफी जर्जर हो चुके हैं, जिनके किसी भी समय ध्वस्त होने की पूर्ण सम्भावना है, जिसके अचानक ध्वस्त होने से किसी भी समय अपीलान्ट्स और उनके परिवार वालों को जान माल का खतरा हो सकता है। बहमी बंटवारा के आधार पर अपीलान्ट 1/3 अंश विवादित सम्पत्ति के मालिक हैं और वादग्रस्त सम्पत्ति पर अपीलान्ट का कब्जा व दखल है तथा अपीलान्ट्स के ही उपयोग व उपभोग में है। इस बिन्दु पर भी अवर न्यायालय ने ध्यान न देकर अपने में निहित क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग किया है। प्रश्नगत आदेश मनमाना, विधि विरुद्ध एवं कल्पनाओं के आधार पर अवर न्यायालय द्वारा पारित किया गया। अवर न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति पर विधिक पूर्वक विचार न करते हुये खिलाफ कानून मनमाने ढंग से प्रश्नगत आदेश पारित किया। जहां तक प्रथम दृष्टया मामले की बात है, तो वादग्रस्त सम्पत्ति, अपीलान्ट के उपयोग व उपभोग में है, इसलिये रेस्पाण्डेन्टगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं था और इसलिये सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में नहीं था तथा अपूर्णनीय क्षति प्रश्नगत आदेश के बने रहने से अपीलान्ट्स की है, रेस्पाण्डेन्टगण की कोई अपूर्णनीय क्षति नहीं है, क्योंकि वे गाटा संख्या 590 में अपने हिस्से पर मकान बना कर उसका उपयोग उपभोग कर रहे हैं।

4– अपीलार्थीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची ग–8/1 के माध्यम से आदेश दिनांकित 19.10.2023 की प्रमाणित नकल व आधार कार्ड की छायाप्रति पत्रावली में दाखिल किया गया है।

5– अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस आधार अपील यह लिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है।

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति अपीलार्थीगण के पक्ष में है। विद्वान अवर न्यायालय ने बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किए एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किये बिना आलोच्य आदेश पारित किया है, जिसे निरस्त करते हुये प्रार्थना पत्र 6 ग निरस्त किये जाने की याचना है।

6– प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही एवं तर्कपूर्ण है। उस पर अपीलार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील निरस्त किये जाने की याचना है।

7– अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8– प्रत्यर्थीगण (वादीगण) ने विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 6 ग में संक्षेप में यह कथन किया है कि गाटा संख्या 590 व 591 के वादीगण व प्रतिवादीगण सह खातेदार संक्रमणीय भूमिधर हैं, जिसमें वादीगण का 2/3 अंश व प्रतिवादीगण का 1/3 अंश है और अभी तक वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच अदालती बंटवारा नहीं हुआ है। गाटा संख्या 591 मौके पर बाग है और गाटा संख्या 590 आबादी है, जिसे वादीगण व प्रतिवादीगण ने आवास हेतु सुरक्षित कर रखा है। प्रतिवादीगण अपने हिस्से से ज्यादा बढ़कर भवन निर्माण करना चाहते हैं जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई स्वत्व व अधिकार नहीं है। वादीगण का प्रथम दृष्टया केस है और सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में हैं।

अपीलार्थीगण (प्रतिवादीगण) का आपत्ति 32 ग में संक्षेप में कथन है कि उनके पिता व वादीगण आराजी उपर्युक्त में 1/3 अंश के हिस्सेदार हैं, जिसके बावत् बहमी बंटवारा काफी अरसा पूर्व हो चुका है। वादीगण ने विवादित आराजी को नक्शा नजरी में अक्षर क,ख,स,द से प्रदर्शित किया है, जो प्रार्थीगण के हिस्से के भूमि है, जिससे वादीगण का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। सम्पूर्ण आराजी को वादीगण ने संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर अ,ब,स,द से प्रदर्शित किया है, जिसमें वादीगण बहमी बंटवारा में प्रदर्शित अक्षर अ,व,क,ख के वादीगण संयुक्त रूप से हिस्सेदार 1/3–1/3 अंश के हैं। वादीगण उसी आराजी में पूरब तरफ अपना पक्का मकान बना रखे हैं और अपने–अपने हिस्से पर काबिज दखील हैं। वादीगण ने फर्जी तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण का कोई प्रथम दृष्टया केस नहीं है तथा सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में नहीं है।

9– इस प्रकीर्ण सिविल अपील के निस्तारण हेतु मुख्य अवधार्य बिन्दु निम्नलिखित है –

1– क्या विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विवादित सम्पत्ति, जिसे वाद पत्र में अक्षर क,ख,स,द बरंग लाल से प्रदर्शित किया गया है, पर उभय पक्ष को यथास्थिति बनाये रखे जाने का जो आक्षेपित आदेश प्रार्थना पत्र 6ग को स्वीकार करते हुए पारित किया गया है, वह मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में न्यायपूर्ण है?

2– अनुतोष?

<u>निस्तारण अवधार्य बिन्दु संख्या 1–</u>

10– यह अवधार्य बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विवादित सम्पत्ति, जिसे वाद पत्र में अक्षर क,ख,स,द बरंग लाल से प्रदर्शित किया गया है, पर उभय पक्ष को यथास्थिति बनाये रखे जाने का जो आक्षेपित आदेश प्रार्थना पत्र 6ग को स्वीकार करते हुए पारित किया गया है, वह मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में न्यायपूर्ण है?

11– उभय पक्ष द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष किये गये अभिकथनों में यह स्वीकृत तथ्य है कि गाटा संख्या 590 के उभय पक्ष अर्थात् अपीलार्थीगण (प्रतिवादीगण) एवं प्रत्यर्थीगण (वादीगण) संयुक्त रूप से स्वामी हैं। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि गाटा संख्या 590 आबादी के रूप में है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण गाटा संख्या 590 की भूमि आबादी के रूप में उपयोग कर रहे हैं। वादीगण का यह कथन है कि प्रतिवादीगण अपने हिस्से से अधिक की भूमि पर निर्माण कर लेना चाहते हैं तथा यह भी कथन किया है कि गाटा संख्या 590 का अदालती बंटवारा नहीं हुआ है जबकि प्रतिवादीगण का कथन है कि गाटा संख्या 590 का वाहमी बंटवारा करके सभी लोग अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज दखील हैं। वादीगण की ओर से दाखिल खतौनी कागज संख्या ग–10 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गाटा संख्या 590 उभय पक्ष के नाम संक्रमणीय खातेदार के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं। यह तथ्य साक्ष्य आने के बाद ही तय हो पायेगा कि उभय पक्ष गाटा संख्या 590 की भूमि पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार काबिज दखील हैं अथवा नहीं। वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति की जो नक्शा नजरी दर्शायी गयी है , उसमें वादग्रस्त सम्पत्ति को बरंग लाल क,ख,स,द से दर्शाया गया है जबकि गाटा संख्या 590 के सम्पूर्ण रकबे को अ,ब,द,स से दर्शाया गया है। वादीगण ने गाटा संख्या 590 के बरंग लाल से दर्शाये गये भाग की लम्बाई चौड़ाई नहीं लिखी है और न ही वह गाटा संख्या 590 के सम्पूर्ण रकबे का कितना अंश है, इस तथ्य को स्पष्ट किया है। जबकि यह स्वीकृत तथ्य है कि गाटा संख्या 590 के वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों ही संयुक्त स्वामी हैं। विद्वान अवर

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 6 ग का निस्तारण इस प्रकार किया है कि उभय पक्ष ता फैसला मुकदमा विवादित सम्पत्ति गाटा संख्या 590, स्थित मौजा कटहा, परगना बहराइच, तहसील इकौना, जनपद श्रावस्ती, जिसे वाद पत्र के साथ दाखिल नक्शा नजरी में अक्षर क,ख,द,स बरंग लाल से प्रदर्शित किया गया है, पर यथास्थिति बनाये रखें। वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि गाटा संख्या 590 का एक भाग बरंग लाल क,ख,द,स से दर्शित है। गाटा संख्या 590 के सम्पूर्ण रकबे के वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त स्वामी हैं और वादीगण के अनुसार गाटा संख्या 590 का अदालती बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में जब तक गाटा संख्या 590 का अदालती बंटवारा अथवा वाहमी बंटवारा नहीं हो जाता तब तक गाटा संख्या 590 का सम्पूर्ण रकबा विवादित होगा न कि उसका केवल एक भाग, जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में बरंग लाल अक्षर क,ख,द,स से दर्शाया गया है। दौरान बहस उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने इस तथ्य को स्वीकार किया तथा गाटा संख्या 590 के सम्पूर्ण रकबे की यथास्थिति बनाये रखे जाने का अनुरोध न्यायालय से किया। इस प्रकार मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में पक्षकारों के मध्य गाटा संख्या 590 के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिये गाटा संख्या 590 के सम्पूर्ण रकबे की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश किया जाना न्यायसंगत था, न कि उसके किसी एक टुकड़े का। इस प्रकार विद्वान अवर न्यायालय द्वारा गाटा संख्या 590 के टुकड़े क,ख,स,द, जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में बरंग लाल से प्रदर्शित किया गया है, की यथास्थिति बनाये रखे जाने का जो आक्षेपित आदेश प्रार्थना पत्र 6 ग के निस्तारण के सम्बन्ध में पक्षकारों को दिया गया है, वह मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में न्यायपूर्ण नहीं है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गयी है। यदि किसी भी पक्ष द्वारा गाटा संख्या 590 की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरे पक्ष को हानि होने की सम्भावना है न कि किसी एक पक्ष को। ऐसी स्थिति में गाटा संख्या 590 के सम्पूर्ण रकबे की मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश दिया जाना न्यायसंगत है तथा इसी रूप में प्रार्थना पत्र 6 ग का निस्तारण किया जाना न्यायसंगत है। अतः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा जिस प्रकार से प्रार्थना पत्र 6 ग का निस्तारण किया गया है वह मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में पक्षकारों के मध्य विवाद के दृष्टिकोण से न्यायसंगत नहीं है।

तद्नुसार अवधार्य बिन्दु संख्या 1 नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण अवधार्य बिन्दु संख्या 2–</u>

12– यह अवधार्य बिन्दु अनुतोष से सम्बन्धित है। अवधार्य बिन्दु संख्या 1 के विश्लेषण व निष्कर्ष के प्रकाश में स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय ने मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवाद के दृष्टिकोण के आधार पर प्रार्थना पत्र 6 ग का न्यायसंगत निस्तारण नहीं किया है। अतः अपील में बल है।

तद्नुसार अपील अंशतः स्वीकार किये जाने योग्य है तथा विद्वान अवर न्यायालय का आक्षेपित आदेश मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में संशोधित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

13– प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या–17/2023 अंशतः स्वीकार की जाती है।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा मूल वाद संख्या–82/2016 की पत्रावली में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 19.10.2023 संशोधित करते हुए प्रार्थना पत्र 6 ग का निस्तारण इस प्रकार से किया जाता है कि उभय पक्ष ता फैसला मुकदमा विवादित गाटा संख्या 590 के सम्पूर्ण रकबे, स्थित मौजा कटहा, परगना बहराइच, तहसील इकौना, जनपद श्रावस्ती, जिसे वाद पत्र के साथ दाखिल नक्शा नजरी में अक्षर अ,ब,स,द से प्रदर्शित किया गया है, पर यथास्थिति बनाये रखेंगे। कोई भी पक्ष मौके पर जहां काबिज है, जब अदालती/बाहमी बंटवारा नहीं हो जाता तब तक वह वहां पर काबिज बना रहेगा। यदि कोई पक्षकार आबादी कायम किये हुए है, तो वह उसकी मरम्मत करा सकेगा। नवीन निर्माण कोई भी पक्ष बिना अदालती/बाहमी बंटवारा हुए नहीं करा सकेगा।

उभय पक्ष विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.03.2026 को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हो। अपना–अपना वाद व्यय पक्षकार स्वयं वहन करेगें।

आदेश की प्रति के साथ विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली प्रति प्रेषित की जाये।

दिनांक 12.03.2026 **(अमित कुमार प्रजापति)**

अपर जनपद न्यायाधीश, श्रावस्ती।

उपर्युक्त निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 12.03.2026 **(अमित कुमार प्रजापति)**

अपर जनपद न्यायाधीश, श्रावस्ती।